संख्याः 1151 /उन्तीस(2)/17-2(91 पे0)/2014

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 27 जुलाई, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (N.R.D.W.P.) (अनुसूचित जनजाति उप योजनान्तर्गत)के अन्तर्गत स्थायीत्व मद के अन्तर्गत राज्यांश की धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त अधिशासी अधिकारी, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, देहरादून के पत्र संख्याः 991 /N-551/2016-17 दिनांक 27 अप्रैल,2017 , पत्र संख्याः 1029 /N-551/2016-17 दिनांक 12 मई,2017 व पत्र संख्याः 1050 /N-551/2016-17 दिनांक 29 मई,2017 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 व वित्तीय वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (N.R.D.W.P.) (अनुसूचित जनजाति उप योजना) के अन्तर्गत भारत सरकार के विभिन्न शासनादेशों द्वारा प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 का स्थायित्व मद में ₹ 0.48लाख, वित्तीय वर्ष 2016-17 का स्थायित्व मद में ₹ 2.81लाख, अर्थात कुल ₹ 3.29लाख (₹ तीन लाख उन्तीस हजार मात्र) राज्यांश की 10% धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य अभियन्ता, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके केवल आवश्यकतानुसार परिपक्व प्रस्तावों के लिए ही आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्याः 940 दिनांक, 10-06-2016, शासनादेश, संख्याः 1046 दिनांक 04-06-2016, शासनादेश संख्याः 2103 दिनांक 26-12-2016, शासनादेश संख्याः 335 दिनांक 30-03-2017, शासनादेश संख्याः 218 दिनांक 16-03-2017 व शासनादेश संख्याः 313 दिनांक 30-03-2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(iii) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि निर्माणाधीन कार्यों पर कार्य की अनुमोदित लागत सीमा के अन्तर्गत त्रैमासिक आवश्यकतानुसार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अपने स्तर से सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित की जायेगी। धनराशि आवंटन के समय यह ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा कि जिस कार्य हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है, उस कार्य पर पूर्व में आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग 80% तक हो गया हो।

(v) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय रू0 1.00करोड़ से अधिक लागत के नये कार्यों/योजनाओं पर बिना शासन के अनुमोदन के कदापि नहीं किया जायेगा।

(vi) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुदान संख्या-31 के अतिरिक्त किसी अनुदान की योजनाओं में नहीं किया जायेगा।

(vii) राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश से निर्मित योजना के कार्यों की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण भारत सरकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(viii) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ix) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित व वर्तमान में प्रभावी दिशा-निर्देशों तथा भारत सरकार के इस सम्बन्ध में लागू अन्य संगत नियमों/निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

(x) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्त नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xi) निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाय कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अन्तर्गत **अनुदान सख्या-31** लेखाशीर्षक-2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01- जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम-01-केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना- 01-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

3. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्याः H1707312463 दिनांक 26 जुलाई,2017 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून,2017 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्याः 177(B)/XXVII(2)/2017 दिनांक 21 जुलाई,2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

पृ0सं0 1141 (1)/उन्तीस(2)/17-2(91 पै0)/2014 ,तददिनांक।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
6. बजट निदेशालय, देहरादून।
7. बजट अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।